बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 3/अ0प्र0–1–437/12 1854 /पटना, दिनांक :– 27-12-21

श्री कुमार राकेश, तदेन तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद द्वारा अधिसूचना सं0 1668 दिनांक 19.10.2020 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध पुनर्विलोकन अपील अभ्यावेदन दिनांक 03.04.2021 समर्पित किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग VII के नियम 25 में यह प्रावधानित है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश/अधिसूचना प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर ही अपील किया जा सकता है परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी को समय पर अपील ग्रहण नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा। श्री राकेश द्वारा अपील हेतु निर्धारित समय सीमा के पश्चात पुनर्विलोकन अपील अभ्यावेदन दायर किया गया है। निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपील नहीं करने का कारण उनके द्वारा कोविड–19 एवं अनुरक्षण नीति अंतर्गत कार्यों की जॉच हेतु मुख्यालय से बाहर रहने तथा पूर्व–पदस्थापन काल के आरोपों से संबंधित कागजातों की प्राप्ति में हुए विलंब को बताया गया है। अतएव श्री राकेश के पुनर्विलोकन अर्जी अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

3. श्री राकेश के विरूद्ध वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन फेसर रोड़ ईदगाह से धरनीधर रोड भाया बराटपुर अखाड़ा तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता से संबंधित निगरानी विभाग के पत्रांक 1895 दिनांक 21.08.12 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त के प्रसंग में श्री राकेश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2811 अनु0 दिनांक 04.08.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 039 अनु0 दिनांक 01.07.2016 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री राकेश के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में यह मंतव्य दिया गया कि तकनीकी सलाहकार होने के कारण इनका दायित्व था कि एन0 आई0टी0 की त्रुटियों के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया जाता, किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री राकेश से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राकेश के पत्रांक 1240 दिनांक 17.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि आलोच्य निविदा प्रकाशन के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना की समीक्षा हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीक्षण

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

अभियंता एवं तकनीकी सलाहकार को इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

5. मामले की समग्र समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्रों के माध्यम से आलोच्य निविदा की सूचना प्राप्त होने के बावजूद श्री राकेश द्वारा योजना के निविदा आमंत्रण पत्र की समीक्षा नहीं की गई जिसके कारण निविदा का निष्पादन नियमानुकूल नहीं किया गया। उक्त आधार पर श्री राकेश के बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 914 दिनांक 07.08.2020 द्वारा उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0 1688 दिनांक 19.10.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) के तहत श्री राकेश के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

7. उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री राकेश द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अपील अभ्यावेदन दिनांक 03.04.2021 में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि विभागीय कार्यवाही में उनसे की गई द्वितीय कारण पृच्छा के प्रसंग में उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान में वर्णित तथ्यों एवं संदर्भों पर बिना विचार किये शास्ति अधिरोपित की गई है तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार विभागीय कार्यवाही के समापन की अधिकतम समय सीमा एक वर्ष है जिसका अनुपालन उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नहीं की गई।

8. प्रश्नगत दण्डादेश, जिसके विरूद्ध यह पुनर्विलोकन अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राकेश द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें शास्ति अधिरोपित की गई। जहॉ तक विभागीय कार्यवाही के समापन में हुए विलंब का प्रश्न है, यह प्रक्रियात्मक एवं परिस्थितिजन्य विलंब है। अतएव श्री राकेश का तर्क आधारहीन है।

9. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27(2) के तहत प्रश्नगत पुनर्विलोकन अर्जी अभ्यावेदन के विचारण से स्पष्ट है कि नियमावली में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर यथा विभागीय कार्यवाही संचालित कर, द्वितीय बचाव बयान प्राप्त कर एवं मामले की समग्र समीक्षोपरान्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन और बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर प्रश्नगत दण्ड अधिरोपित की गई है। निष्कर्ष अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्थित हैं। प्रामणित आरोपों के आलोक में अधिरोपित शास्ति उचित है।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार राकेश, तदेन तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अपील अभ्यावेदन दिनांक 03.04.2021 स्वीकारयोग्य नहीं होने के फलस्वरूप उसे अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

22.12.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/12 1854 /पटना, दिनांक :– 27.12.21

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री कुमार राकेश, तदेन तकनीकी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.21
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/12 1854 /पटना, दिनांक :– 27.12.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.12.21
उप सचिव